(19)

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक निग -1277 - II - सन् 2016

1. अरविन्द कुमार तनय प्रकाश चन्द्र जैन
2. रविन्द्रनाथ तनय रमेशचन्द्र जैन

निवासीगण ग्राम चन्द्रनगर, तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. म0प्र0 शासन
2. विन्द्रावंन तनय ललवा काछी

निवासी – चन्द्रनगर तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर म0 प्र0 ....गैरनिगरानीकर्तागण

श्री .... द्वारा आज दि. 21.4.16 को प्रस्तुत
21-4-16
क्लर्क
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजनगर, प्रभारी क्षेत्र चन्द्रनगर के प्रकरण क्र0 14/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2015 से दुखी होकर निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करते हैं :–

निगरानी के तथ्य

21/4/16

1. यह कि निगरानी का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि मौजा शिवराजपुर तहसील राजनगर, की भूमि खसरा नं0 302/14/1, 302/15 रकवा 1.873 हे0 का खाता राजस्व अभिलेख में निगरानीकर्तागण के नाम से भमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है।
2. यह कि उक्त भमि में बटा नंबर कायम होने से नक्शा में तरमीम नही होने से नक्शा में तरमीम किये जाने का आवेदन पत्र निगरानीकर्तागण द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय, प्रभारी क्षेत्र चन्द्रनगर (जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय पढ़ा जावेगा) के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 14/अ–3/14–15 पर दर्ज किया जाकर संबंधित बटांकधारी एवं राजस्व निरीक्षक महोदय, चन्द्रनगर को मौके पर नापकर नक्शा में पेसिंली तरमीम हेतु परवाना जारी किया गया ।

(3)

क्रमशः //2//

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1277–दो/2016 जिला छतरपुर

अरविन्द कुमार आदि विरूद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-02-2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चर्तुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 14/अ–3/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 5–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15–4–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 20/02/2019	